भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3419

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

पीएसबी/नाबार्ड द्वारा कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कमी

3419. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देश के उल्लंघन के मामलों की सूचना मिली है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ):भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विनियामकीय संस्थाओं (आरई) द्वारा स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है और ये ब्याज दरें बैंकों द्वारा उनके संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रयोज्य विनियामकीय दिशानिर्देशों के अध्यधीन निर्धारित की जाती है। तथापि, किसानों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की घटी हुई ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपये तक का अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता योजना (किसान क्रेडिट कार्ड योजना) कार्यान्वित की गई है। यह योजना बैंकों को अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, ऋण के त्वरित पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% तक रह जाती है। इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है।

******